भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 188
उत्तर देने की तारीख 22 जुलाई, 2024
सोमवार, 31 आषाढ़, 1946 (शक)

कुशल श्रमिकों हेतु मांग

188. श्री सुधीर गुप्ता: श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्लू-कॉलर वर्कर मार्केट प्लेस 'हंटर' की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत से कुशल ब्लू-कॉलर श्रमिकों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में विदेशों में, विशेष रूप से मध्य-पूर्व के देशों में काफी बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन क्षेत्रों में यह मांग बढ़ी है;

(ग) क्या भारत में बुनियादी ढांचा कंपनियां भी देश में कुशल और अकुशल जनशक्ति की भारी कमी से प्रभावित हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-कुशल श्रमिकों की मांग में भी लगभग 10-15 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क से ख) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पास ऐसा कोई अध्ययन उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (घ) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के पास भारत में बुनियादी ढांचा फर्मों के बारे में ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है जो कुशल और अकुशल जनशक्ति की भारी कमी या गैर-कुशल श्रमिकों की मांग में वृद्धि से प्रभावित हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, मुख्य उद्योगों में वृद्धि, जो उद्योगों में इनपुट की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण हैं, भारत में औद्योगिक कार्यकलाप में व्यापक गति को दर्शाती है।
(ङ) अवसंरचना क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकता को पूरा करने और उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी में बदलाव के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संरेखित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

i. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में नए आईटीआई के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की अवसंरचना में विस्तार।
ii. अवसंरचना, शिक्षाशास्त्र, पाठ्यक्रम और प्रौद्योगिकी सहयोग के संदर्भ में आईटीआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण।
iii. आईटीआई में इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), नवीकरणीय ऊर्जा, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (3-डी प्रिंटिंग), मेक्ट्रोनिक्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी इत्यादि में आधुनिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत।

iv. युवाओं को अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का शुभारंभ।

v. असाक्षर, नव-साक्षर और 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर वाले और 12वीं कक्षा तक स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिए जेएसएस का कार्यान्वयन।

vi. विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कौशल विकास स्कीमों के कार्यान्वयन में एकरूपता और मानकीकरण लाने के लिए सामान्य मानदंडों की अधिसूचना।

vii. राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों को विकसित करने के लिए उद्योग-आधारित निकायों के रूप में सेक्टर कौशल परिषदों (एसएससी) का गठन।

viii. राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक परिणाम-उन्मुख विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना, आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प), का कार्यान्वयन।

ix. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) और शिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की उपयुक्तता और दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना, औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण (स्ट्राइव) स्कीम का कार्यान्वयन।

x. कौशल/रोज़गार मेलों के माध्यम से जुटाव/आउटरीच कार्यकलाप, कौशल को आकांक्षी बनाने के लिए कौशल आजीविका परामर्श स्कीम।

xi. राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ) के अनुसार पाठ्यक्रमों का संरेखण।

xii. राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीओटी) के माध्यम से प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

xiii. शिक्षुओं को वृत्तिका सहायता प्रदान करके, शिक्षुता इकोसिस्टम की क्षमता निर्माण करने और तेजी से विकास का समर्थन करने के लिए पक्ष-समर्थन सहायता प्रदान करके देश में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) का शुभारंभ।

*****